



राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस०यू०एल०एम०) उ०प्र०  
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण, - सूडा उ.प्र.)



प्रथम तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

दूरभाष एवं फ़ैक्स: 0522-2307798 e-mail: nulmup@gmail.com website: www.sudaup.org

पत्रांक 393 / 241 / NULM / तीन / 2001-VOL-II दिनांक 27-6-17

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण,  
उ०प्र०।
2. समस्त परियोजना निदेशक/सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर  
जिला नगरीय विकास अभिकरण/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई,  
उ०प्र०।

**विषय : दीनदयाल अन्त्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत समस्त घटकों में लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों की आधार कार्ड से सम्बद्धता संबंध में।**

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के संलग्न "भारत का राजपत्र" (The Gazette of India) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से DAY-NULM के अन्तर्गत समस्त घटकों में चयनित लाभार्थियों को आधार कार्ड से सम्बद्ध किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के क्रम में केन्द्रीय सरकार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के उपबंधों के अनुपालन में, निम्नलिखित अधिसूचित है:-

1. DAY-NULM के अधीन फायदे प्राप्त करने के इच्छुक लाभार्थियों से अपेक्षित है कि वह आधार रखने का सबूत प्रस्तुत करें या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करें।
2. इस स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने के इच्छुक पात्र किसी व्यक्ति जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, किन्तु जो इस स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने का इच्छुक है, को 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा।
3. जहाँ पर कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है, वहाँ राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधीन इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी संबंधित विभाग या प्राधिकरण से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) से समन्वय कर आधार कार्ड बनवा सकते हैं, आदि।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न गजट का अध्ययन कर तदनुसार लाभार्थियों को आधार कार्ड से सम्बद्धता हेतु DAY-NULM के अन्तर्गत अग्रत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोपरि

भवदीय  
(शैलेन्द्र कुमार सिंह)  
मिशन निदेशक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (यूपीए डिवीजन) भारत सरकार, निर्माण भवन नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन।
3. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त शहर मिशन प्रबन्धकों, शहर मिशन प्रबन्धन इकाई को अनुपालनार्थ प्रेषित।
5. सहायक वेबमास्टर, सूडा उ०प्र० को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)  
मिशन निदेशक



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1500]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 26, 2017/ ज्येष्ठ 5, 1939

No. 1500]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 26, 2017/ JYAISTHA 5, 1939

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2017

का.शा. 1695(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, भारत सरकार में आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् मंत्रालय कहा गया है) दीनदयाल अंत्योदय योजना स्कीम-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन(डीएवाई-एनयूएलएम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) का संचालन कर रहा है गरीबी और शहरी गरीब परिवारों (जिसे इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है) की असुरक्षा को कम करने के उद्देश्य से उन्हें लाभप्रद स्व-रोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर सुलभ कराने में और उपयुक्त स्थानों, संस्थागत ऋण, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार के अवसर और कौशल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् फायदा कहा गया है) उपलब्ध कराकर सक्षम बनाया जाएगा;

और, स्कीम का कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के अधीन शहरी विकास या नगर प्रशासन या स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी अन्य किसी संबंधित विभाग के अधीन विभिन्न मूलभूत स्तर के संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है;

और, पूर्वोक्त स्कीम में भारत की संचित निधि में से उपगत व्यय अंतर्बलित है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुपालन में, निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

- (1) इस स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने के इच्छुक किसी व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह आधार रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करे।

(2) इस स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने के इच्छुक पात्र किसी व्यक्ति जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, किन्तु जो इस स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने का इच्छुक है, को 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा। परन्तु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसा व्यक्ति आधार नामांकन करवाने के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र, (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट ([www.uidai.gov.in](http://www.uidai.gov.in)) पर सूची उपलब्ध) से संपर्क कर सकता है।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी संबंधित विभाग अथवा प्राधिकरण जो किसी व्यक्ति से आधार प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हैं, कि ऐसे फायदाग्राहियों के लिए, जिन्होंने अभी तक आधार संख्या के लिए नामांकन नहीं कराया है और उस दशा में जहां संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील जैसे आस-पास के क्षेत्र में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है, वहां राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधीन इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी संबंधित विभाग या प्राधिकरण से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के विद्यमान रजिस्ट्रार से समन्वय करते हुए सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कर सकेगा या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा।

परन्तु इस समय जब तक इस स्कीम के अधीन ऐसे फायदाग्राही को आधार संख्या समनुदेशित किया जाता है, ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए स्कीम का फायदा प्रदान किया जाएगा अर्थात्:—

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है, तो उसकी आधार नामांकन आईडी पर्ची; या

(ii) आधार नामांकन के लिए किए गए उसके अनुरोध पत्र की एक प्रति, जैसा कि पैरा 2 के उप-पैरा (ख) में विनिर्दिष्ट किया गया है, और

(ख) (i) फोटो सहित बैंक पास बुक; या (ii) मतदाता पहचान पत्र; या (iii) राशनकार्ड; या (iv) स्थाई लेखा संख्या (पैन)कार्ड; या (v) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (vi) पासपोर्ट; या (vii) किसान फोटो पासबुक; या (viii) किसी सरकारी शीर्ष नाका पर किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी ऐसे सदस्य के फोटोयुक्त पहचान का प्रमाण-पत्र; या (ix) राज्य सरकार द्वारा अथवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

परन्तु यह और कि उस प्रायोजन के लिए राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विशेष रूप से अभिहित अधिकारी द्वारा उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

2. इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध फायदे प्रदान कराने के उद्देश्य से, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधीन इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी संबंधित विभाग सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात्:—

(क) इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को फायदा प्राप्त करने के लिए आधार की अपेक्षा के बारे में उन्हें जागरूक कराने के लिए मीडिया के माध्यम से और व्यक्तिगत सूचनाएं देकर व्यापक प्रचार किया जाएगा और यदि उन्होंने पहले से ही नामांकन नहीं कराया है, तो वे अपने क्षेत्रों में उपलब्ध समीपतम नामांकन केन्द्रों में जून 30, 2017 तक स्वयं का नामांकन करा सकें। उपलब्ध स्थानीय नामांकन केन्द्रों की सूची ([www.uidai.gov.in](http://www.uidai.gov.in)) पर सूची उपलब्ध) उन्हें उपलब्ध करा दी जाएगी।

(ख) यदि, फायदाग्राही आस-पास के क्षेत्र जैसे कि ब्लॉक या तालुका या तहसील में नामांकन केन्द्र उपलब्ध नहीं होने के कारण नामांकन नहीं करा पाते हैं तो राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी संबंधित विभाग अथवा प्राधिकरण सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराना अपेक्षित है और फायदाग्राहियों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे विशेष रूप से राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नियुक्त संबंधित अधिकारियों के पास अपना नाम, पता, मोबाइल न. और अन्य अपेक्षित विवरण

देकर आधार नामांकन के लिए या इस प्रयोजनार्थ दिए गए वेब पोर्टल के माध्यम से अपने अनुरोध रजिस्ट्रीकृत कराएँ।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में इस राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

[फा. सं. जी-24011/6/2014-यूपीए (एफटीएस : 10625)]

संजय कुमार, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION

### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2017

**S.O. 1695(E).**— Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administering the **Scheme of Deendayal Antyodaya Yojana – National Urban Livelihood Mission (DAY-NULM)** (hereinafter referred to as the Scheme) with the objective of reducing poverty and vulnerability of the urban poor households (hereinafter referred to as the beneficiaries) by enabling them to access gainful self-employment and skilled wage employment opportunities and by facilitating access to suitable spaces, institutional credit, social security, employment opportunities and skills (hereinafter referred to as the benefits);

And whereas, the Scheme is implemented through various grassroots level institutions under the Department of Urban Development or the Municipal Administration or any other concerned Department responsible for the implementation of the Scheme under the State Governments and Union territory Administrations;

And whereas, the aforesaid Scheme involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:—

1. (1) Any individual desirous of availing the benefits under the Scheme is required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) An individual desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing the benefits under the Scheme is hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 30<sup>th</sup> June 2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) [www.uidai.gov.in](http://www.uidai.gov.in)) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme in the State Government or Union territory Administration which requires an individual to furnish Aadhaar, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar, and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme under the State Government or Union territory Administration is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or the Department or authority itself becoming UIDAI Registrar:

Provided that till Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Schemes shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely:—

- (a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or  
(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and
- (b) (i) Bank passbook containing photograph; or (ii) Voter identity card; or (iii) Ration Card; or (iv) Permanent Account Number (PAN) Card; or (v) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vi) Passport; or (vii) Kisan Photo Passbook; or (viii) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer on official letter head; or (ix) any other documents as specified by the State Government or Union territory Administration;

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the State Government or Union territory Administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme under the State Government or Union territory Administration shall make all the required arrangements including the following, namely:—

- (a) Wide publicity through media and individual notices to be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centre available in their areas by 30<sup>th</sup> June 2017, in case they are not yet enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at [www.uidai.gov.in](http://www.uidai.gov.in)) shall be made available to them.
- (b) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrollment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme under the State Government or Union territory Administration is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details, with the concerned official designated by the State Government or Union territory Administration or through the web portal provide for the purpose.

3. This Notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. G-24011/6/2014-UPA (FTS: 10625)]

SANJAY KUMAR, Jt. Secy.